मुख्य अभियंता का कार्यालय
सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :– सीमांचल–अउटलेट–03–08/2021 दिनांक :–

प्रेषक,

मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
पथ निर्माण विभाग,
पूर्व बिहार अंचल, भागलपुर

विषयः– **पथ प्रमंडल भागलपुर अन्तर्गत भागलपुर–अमरपुर भाया कजरैली पथ (SH-25) के चैनेज–2.605 से 2.650 में अंचल–जगदीशपुर, थाना–हबीबपुर, थाना नं०–180, मौजा–हाजीशाहपुर, खाता सं०–11 और 17, खेसरा सं०–15 और 18 मं नया पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट खोलने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।**

प्रसंग :– (i) आपका पत्रांक–66 (अनु०) दिनांक 14.01.2021 एवं (ii) कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल भागलपुर का पत्रांक–806 (अनु०) दिनांक 10.04.2021

महाशय,

उपरोक्त विषयक उपभागीय पत्रांक–116 दिनांक 05.02.2021 के आलोक में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, भागलपुर द्वारा प्रासंगिक पत्र (ii) से सूचित किया गया है कि विषयांकित नया पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु आवेदिका श्रीमती अक्षरा देव द्वारा कुल विभागीय शुल्क ₹3,01,722/–(तीन लाख एक हजार सात सौ बाईस रुपये) मात्र की राशि Treasury Challan के माध्यम से जमा करा दिया गया है। अतः उक्त के आलोक में भागलपुर–अमरपुर भाया कजरैली पथ (SH-25) के चैनेज–2.605 से 2.650 में अंचल–जगदीशपुर, थाना–हबीबपुर, थाना नं०–180, मौजा–हाजीशाहपुर, खाता सं०–11 और 17, खेसरा सं०–15 और 18 मं नया पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु पथ निर्माण विभाग की भूमि को पहुँच पथ के रुप में विकसित कर व्यवहार हेतु 5 (पाँच) वर्षो के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र विभागीय निदेश (पत्रांक–4770(E) दिनांक 24.08.2017 एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1921(S) दिनांक 08.03.2018 के आलोक में निम्न शर्त्तो पर प्रदान की जाती है :–

1. भविष्य में यदि आवेदिका द्वारा प्रस्तावित स्थल के संबंध में दी गयी सूचनाओं में कोई त्रुटि पायी जाती है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. पेट्रोल पम्प के अनुमोदित नक्शा की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु मूल में लौटाई जाती है।
3. प्रत्येक 5 वर्ष के बाद नवीकरण कराना अनिवार्य होगा।
4. विभागीय पत्रांक 4770 (ई0) दिनांक 24.08.2017 के कंडिका–6 का अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाय।

अनु0:–मूल नक्शा की एक प्रति।

विश्वासभाजन

ह०/–
मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(कृ०पृ०उ

ज्ञापांक :– सीमांचल–अउटलेट–03–08 / 2021 दिनांक :–

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

मुख्य अभियंता,

सीमांचल उपभाग,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– सीमांचल–अउटलेट–03–08 / 2021 - 789 दिनांक :– 9/7/21

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल भागलपुर / Chief Divisional Retail Sales Manager, Indian Oil Corporation Limited (M.D.), Begusarai Divisional Office, P.O.-Barauni Oil Refinery, Dist.-Begusarai, Bihar, Pin-851114 /Ms Akshara Dev, C/O-Anarshi Chunihara, Vill-Daudwat, PO-Shajadpur, PS-Habibpur, Block-Jagdishpur, Dis-Bhagalpur, Bihar-812005 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/7/21

मुख्य अभियंता,

सीमांचल उपभाग,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।